(3)

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 16/2018

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– सायरी पत्नी स्व. नरसिंगराम उर्फ नरिंगराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणियां, आकली बेरा, डांवरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।		1– श्रीमती बेबली पत्नी स्व.सीताराम 2– सुनिल पुत्र स्व. सीताराम 3– विजेश पुत्र स्व. सीताराम 4– किनकी पुत्री स्व. सीताराम 5– सुन्दरी पुत्री स्व. सीताराम 6– अनिता पुत्री स्व. सीताराम जाति भील निवासीगण बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर। 7– भूमिधारी जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 812 दिनांक 20.03.14 ग्राम बासनी तम्बोलिया जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :– **आदेश दिनांक 28.06.2018**

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री बी.आर. विश्नोई अधिवक्ता (प्रत्यर्थी सं0–1 ता 6)
3– सरकारी पेरोकार अनुपस्थित (प्रत्यर्थीपक्ष–7)

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर के खेत खसरा 61 रकबा 6.9 बीघा में सीताराम पुत्र जस्साराम का 1/3 हिस्सा की सहखातेदारी भूमि थी तथा सीताराम ने अपने जीवनकाल में 1/3 हिस्सा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 05.09.2007 को नरसिंगराम उर्फ नरिंगराम के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् केता नरसिंगराम बीमार हो गया व अन्त में देहान्त होने से रजिस्टर्ड बेचाननामा घर पर पड़ा रह गया। प्रत्यर्थीगण के पूर्व पुरूष सीताराम की मृत्यु होने

लगातार....

Scanned with CamScanner

(५)

के पश्चात् प्रत्यर्थीगण 1 ता 6 के पक्ष में विवादग्रस्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर ने अपीलार्थीपक्ष को बिना सुने तस्दीक कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया की ओर से यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं0–1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.आर. विश्नोई ने उपस्थित होकर वकालतनामे पेश किये। प्रत्यर्थी–7 इत्तला बावजूद अनुपस्थित। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 26.06.2018 को उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण सुनी गई।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि वाके ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर के खेत खसरा 61 रकबा 6.9 बीघा में सीताराम पुत्र जस्साराम का 1/3 हिस्सा की सहखातेदारी भूमि थी तथा सीताराम ने अपने जीवनकाल में अपना 1/3 हिस्सा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 05.09.2007 को नरसिंगराम उर्फ नरिंगराम के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् केता नरसिंगराम (अपीलार्थीया का पति) बीमार हो गया व अन्त में देहान्त होने से रजिस्टर्ड बेचाननामा घर पर पड़ा रह गया। प्रत्यर्थीगण 1 ता 6 के पति/पिता सीताराम की मृत्यु होने के पश्चात् इन्होनें जानबूझकर व तथ्यों को छुपाकर अपने नाम का विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया गया अतः अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। बहस में आगे कहा कि विवादग्रस्त भूमि का सहखातेदार स्व. सीताराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिफल प्राप्त कर पंजीबद्ध बेचाननामा जरिये बेचान करने से प्रत्यर्थीगण का कोई हक, हिस्सा एवं हित निहित इस भूमि में नहीं रहा है। बहस में यह भी कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी। अपीलार्थीया को बेचाननामा मिलने पर माह दिसम्बर, 2017 को हलका पटवारी के पास जाने पर हलका पटवारी ने कागजात देखकर बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अब नहीं किया जा सकता क्योंकि अब सीताराम के नाम भूमि न होकर अन्य खातेदारान के नाम हो गई, तब हलका पटवारी से अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतिलिपि लेने का आवेदन किया तथा दिनांक 10.01.2018 को प्रमाणित प्रति मिलने पर विधिक राय लेकर यह अपील पेश की गई। बहस के अन्त में कहा कि अपील मियाद सुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाय।

Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थीपक्ष–1 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया के पति के पक्ष में कथित पंजीबद्ध बेचाननामा होने की बात बताई जा रही है वो बहैसियत आम मुखत्यारनामा के आधार पर किया गया। उक्त आम मुखत्यारनामा संयुक्तरूप से सहखातेदारान द्वारा दिया जाना बताया जा रहा है उसमें से आम मुखत्यार करने वाले सहखातेदारान की कथित बेचाननामा करने से पूर्व मृत्यु हो चुकी है अतः आम मुखत्यारनामा देने वाला व्यक्ति की नहीं रहने पर वो आममुखत्यारनामा प्रभाव में नहीं रहता है तथा ऐसे आममुखत्यारनामा के आधार पर किये गये बेचाननामा विधि में मान्य नहीं होने से शून्य है। बहस में आगे यह भी बतलाया कि अपीलार्थीया के पति नरसिंगराम के पक्ष में कथित पंजीबद्ध बेचानामा को निरस्त कराने का एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में पक्षकारान के स्वत्व सिविल न्यायालय से तय होगे ऐसी स्थिति में अपील कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि उसको अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.01.2018 को हलका पटवारी से सम्पर्क करने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई, तब हुई। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से इसका खण्डन नहीं किया गया, न्यायहित में प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जाता है।

अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि 06.09 का 1/3 हिस्सा भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 05.07.2007 नरसिंगराम पुत्र रतनाराम भील निवासी ग्राम बिराई तहसील भोपालगढ के पक्ष में किया गया तथा उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा को निरस्त कराने का एक सिविल वाद अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बअनवान श्रीमती पिन्नुदेवी बनाम नरसिंगराम व अन्य विचाराधीन है। अपील में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचाननामा स्वयं द्वारा या आम मुखत्यारनामा के जरिये किये जाने के पश्चात् विक्रयकर्ता या उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं रहता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम 14 में किये इन्द्राजात के अनुसार प्रत्यर्थीगण 1 ता 6 के पति/पिता सीताराम पुत्र जसाराम की मृत्यु दिनांक 30.06.2013 को होने पर प्रत्यर्थीगण 1 ता 6 के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण तहसीलदार

लगातार....

Scanned with CamScanner

जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, जबकि अपीलार्थीया के पति नरसिंगराम के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 05.07.2007 को किया जा चुका है अतः अपीलार्थीया के हित प्रभावित हुए है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थीया पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण 1 ता 6 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण 3 माह में किया जावे। आदेश प्रति मय मूल नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned with CamScanner